

प्रेषक,

अनीता सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 31 नव, 2010

विषय:- सूचना प्राप्त करने हेतु अनुरोध के सम्बन्ध में।
महोदय,

जैसा कि आप अवगत है कि सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 6(1) में किसी आवेदक द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु निम्न प्राविधान है -

“कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या क्षेत्र की राजभाषा, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, कीस के साथ, संबंधित लोक प्राधिकरण के जल सूचना अधिकारी या सहायक जनसूचना अधिकारी को, उसके द्वारा मांगी गई सूचना को विशिष्टता विनिर्दिष्ट करते हेतु अनुरोध करेगा।

2- जल इस संबंध में जुड़े यह कहने का निवेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य में यदि किसी व्यक्ति द्वारा लिखित में उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिन्दी/उर्दू के अलावा अंग्रेजी में आवेदन सूचना प्राप्त करने हेतु किया जाता है तो उसके आवेदन पत्र को अस्वीकार नहीं किया जायेगा।

कृपया उक्त आवेदनों का अनुपालन अपने दिनांक तथा अपने अपने समस्त लोक प्राधिकरणों में सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनीता सिंह)
सचिव